वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में संभावित बाढ़ 2017 के दौरान बाढ़ से प्रभावित/विस्थापितों हेतु चलाए जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने एवं परोसने हेतु बर्तन का क्रय करने के लिए निदेश प्राप्त है। तदनुसार जिला में राहत शिविर हेतु बर्तन क्रय करने हेतु दर निर्धारण की आवश्यकता है। निम्नांकित सामाग्रियों के दर निर्धारण के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

1. निविदादाताओं को मो0 5000.00 (पाँच हजार) रू0 जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली में जमा करना होगा जो जिला पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 16.6.17 को अपराह्न 1.00 बजे तक होगा। प्राप्त निविदायें उसी दिन संध्या 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि रह सकते है।

2.. सामग्री का विवरण :–

क्र0	सामाग्री का विवरण	मात्रा
1	2	3
1	पतीला अल्युमिनियम 30''	02
2	पतीला अल्युमिनियम 25''	01
3	पतीला अल्युमिनियम 20''	02
4	पतीला अल्युमिनियम 18''	01
5	परात अल्युमिनियम 29''	01
6	परात अल्युमिनियम 26''	01
7	कड़ाही लोहे की 29''	02
8	पलटा लोहा बड़े साईज का	02
9	झरना लोहा बड़े साईज का	01
10	झरना लोहा छोटे साईज का	01
11	करछी स्टील/लोहा बड़े साईज का	02
12	करछी स्टील/लोहा मझोले साईज का	06
13	प्रेशर कुकर 22 ली0	01
14	आटा चलनी बड़े साईज का	02
15	थाली	100
16	कटोरा	100
17	चकला बेलन बड़े साईज का (पिढ़ा टाईप)	02
18	गैस भठ्ठी	02
19	चपाती भट्ठी तावा के साथ	01
20	डल्लु स्टील 250 ग्राम	02
21	चिमटा स्टील	02
22	हमाम दस्ता	01
23	लोहा का बाल्टी 16''	05
24	चाकू बड़ा	04
25	चाकू छोटा	04
26	ग्लास	100
27	जग स्टील	05
28	स्टील कन्टेनर (क्षमता 25 किलो से 100 किलो तक)	10
29	कठौता	05
30	अल्युमिनियम ट्रे	05

निविदा की शर्तें :-

निविदा डालने हतु निम्नांकित शर्तों का अनुपालन आवश्यक है :-

1. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष गुणवत्ता के अनुरूप सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
2. निविदा के साथ अपने दूकान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर/वैटकर का निबंधन प्रमाण पत्र एवं फर्म द्वारा आयकर विभाग को आयकर चुकता करने का अद्यतन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
3. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।
4. सामानों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार दिये गये आदेश के आलोक में निर्धारित स्थल पर करना होगा जिसका परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
5. बिना करण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
6. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार बी0एस0टी0/टी0ओ0टी0 देय होगा, जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जाएगी।
7. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़ शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
9. निविदाकर्त्ता को सुरक्षित राशि के रूप में 5000.00(पाँच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, वैशाली के नाम से निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
10. आपूर्ति किये जाने वाले सभी सामग्रियों पर "जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली" अंकित करना होगा।
11. स्वीकृत निविदादाताओं के द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं से स्थानीय बाजार के अनुसार अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
12. विस्तृत जानकारी वैशाली जिला के आधिकारिक वेवसाइट vaishali.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।